

# कार्यालय      पुलिस      अधीक्षक      जनपद      गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 12/07/2025

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर  
अपर पुलिस महानिदेशक,  
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 11.07.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

**01. थाना दिलदारनगर पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त को एक अदद नाजायज देशी पिस्टल .9 MM व 01 अदद जिन्दा कारतूस . 9 MM के साथ किया गया गिरफ्तार ।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.07.2025 को उ0नि0 श्री सत्येन्द्र सिंह चन्देल मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर ताजपुर कुर्रा यादव का डेरा वहद् ग्राम ताजपुर कुर्रा के पास से अभियुक्त बाबर खॉन पुत्र अख्तर खान निवासी ग्राम ताजपुर कुर्रा थाना दिलदानगर जनपद गाजपुर उम्र करीब 36 वर्ष के कब्जे से एक अदद नाजायज देशी पिस्टल .9 MM व 01 अदद जिन्दा कारतूस . 9 MM बरामद किया गया फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय मु0अ0सं0 134/2025 धारा 3/25 Arms Act का अभियोग पंजीकृत किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

1. बाबर खॉन पुत्र अख्तर खान निवासी ग्राम ताजपुर कुर्रा थाना दिलदानगर जनपद गाजपुर उम्र करीब 36 वर्ष

**अपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 134/2025 धारा 3/25 A Act थाना दिलदारनगर गाजीपुर

**बरामदगी:**

1. एक अदद नाजायज देशी पिस्टल .9 MM व 01 अदद जिन्दा कारतूस . 9 MM

**02. थाना भुडकुडा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 83/25 धारा 115(2)/118(1)/109(1)/333 बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.07.2025 को थाना भुडकुडा की टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 83/25 धारा 115(2)/118(1)/109(1)/333 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त संगम राजभर पुत्र गुलाब राजभर निवासी ग्राम कोठिया थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर को उत्तरी क्रासिंग बरम बाबा मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाडी बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तार शुदा अभियुक्त का नाम पता-**

1. संगम राजभर पुत्र गुलाब राजभर निवासी ग्राम कोठिया थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

**बरामदगी का विवरण-**

1. एक अदद कुल्हाडी

**03. प्रेस नोट जनपद गाजीपुर**

दिनांक 11.07.2025

“श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा ।”

दिनांक 11.07.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 – 133/2018 धारा 363, 366, 376 D भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 1. अभियुक्त पवन राजभर पुत्र बिन्देश्वर राजभर निवासी ग्राम चकमकपुर थाना दुल्लहपुर गाजीपुर को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 15,000/- अर्थदण्ड, धारा 363 भादवि में 04 वर्ष का साधारण कारावास तथा 5,000/- अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का साधारण कारावास तथा 10,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

2. अभियुक्त राजू राजभर पुत्र विन्ध्याचल राजभर निवासी हनौता थाना दुल्लहपुर गाजीपुर को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000/- अर्थदण्ड, धारा 363 भादवि में 04 वर्ष का साधारण कारावास तथा 5,000/- अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का साधारण कारावास तथा 10,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

मीडिया सेल

जनपद गाजीपुर

